प्रेस नोट **21/11/2024**

02 अन्तर्जपदीय शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 776 ग्राम नाजायज गांजा व कूटरचित नंबर प्लेट लगी एक मो0साईकिल बरामद–

अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी आज दिनांक 21.11.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर धौरहरा बार्डर के पास से मुबारकपुर की तरफ से आ रही एक मोटरसाईकिल पर सवार दो व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया तो मो0सा0 मोड़कर भागना चाहे तथा फिसल गये जिस पर मौजूद पुलिस बल द्वारा उक्त दोनों व्यक्तियों को पकड़कर उनके कब्जे से 02 किलो 776 ग्राम नाजायज गांजा व कूटरचित नंबर प्लेट लगी एक मो0साईकिल स्प्लेंडर प्रो बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 407/24 धारा 342,345 बीएनएस व 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया तथा उक्त वाहन को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. राजेश यादव पुत्र गुज्जू यादव निवासी पिताम्बरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
2. जयहिंद यादव उर्फ सचिन पुत्र विनोद यादव निवासी पिताम्बरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी–

1. 02 किलो 776 ग्राम नाजायज गांजा।
2. कूटरचित नंबर प्लेट लगी एक मो0साईकिल स्प्लेंडर प्रो।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

उ0नि0 फूलचंद यादव, उ0नि0 विशाल पासवान, मु0आ0 मनोज शर्मा, का0 अखण्ड प्रताप यादव, अंशुमान शुक्ला, धर्मेन्द्र कुमार, ओमप्रकाश व का0 अभिमन्यू थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत हत्या मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹75,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 21–11–2024 को मु0अ0सं0 177/22 धारा 302,201 भादवि थाना सरायलखंसी में दोषसिद्ध अभियुक्त मोजाहिद पुत्र रेयाज अहमद निवासी खालिसपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ₹75,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 04 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार मिश्रा, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मु0 आरक्षी विनोद चौरसिया थाना सरायलखंसी का सराहनीय योगदान रहा।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी का सामान बरामद-

आज दिनांक 21-11-2024 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ढ़ैचा के पास से मु0अ0स0 319/24 धारा 303 बीएनएस मे वांछित अभियुक्त रवि राजभर पुत्र सुमेर निवासी ढ़ैचा थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से चोरी का एक अदद डीजे साउण्ड मशीन एक्सचेंजर बरामद किया गया तथा धारा 117(2)बीएनएस की बढोतरी कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार तथा 03 नाबालिग को अभिरक्षा मे लिया गया कब्जे से चोरी का सामान बरामद-</u>

आज दिनांक 21-11-2024 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कटघरा महुलिया के पास से मु0अ0स0 327/24 धारा 303(2),115(2), बीएनएस मे वांछित अभियुक्त पवन कुमार राजभर पुत्र रामबदन राजभर निवासी दरगाह थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से चोरी का एक मोबाईल सैमसंग गैलेक्सी AO4E बरामद किया गया तथा धारा 117(2)बीएनएस की बढोतरी कर चालान न्यायालय किया गया।